न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

47 / 2022

श्री रमेश चन्द विजय निवासी कमला नेहरू कॉलोनी टोडारायसिंह जिला टोंक राज0

——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 09.01.2023**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन अपील पेश की है। अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 13.09.2022 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नीचे लिखे प्रश्नो की लिखित उत्तर की प्रतिलिपि मय प्रमाणित देने की कृपा करें।

1. मेरा वित्त वर्ष 2008—09 का GA-55 Form.
2. मेरा वित्त वर्ष 2009—10 का GA-55 Form.

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला टोंक को पत्र कमांक 1618 दिनांक 17.11.2022, 1653 दिनांक 28.11.2022, 1707 दिनांक 15.12.2022 व 1738 दिनांक 27.12.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थितं नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला टोंक ने उनके पत्र कमांक भू.अ./2022/6808 दिनांक 27.12.2022 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र कमांक 6783 दिनांक 23.12.2022 से सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते